

स्पीड पोस्ट / फ़ैक्स

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
नवादा।

पटना, दिनांक-.....2016

विषय :-

रजौली (नवादा) थाना कांड सं0-131/2014 दिनांक-01.07.2014 के मृतक स्व0-बालेश्वर यादव, पिता-विसुन यादव, ग्राम-कुम्हरूआ, थाना-रजौली, जिला-नवादा की माओवादी उग्रवादियों द्वारा हत्या के फलस्वरूप उनके आश्रिता पत्नी मोसमात सोना देवी को विभागीय संकल्प सं0-8960 दिनांक-30.9.2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत अनुग्रह अनुदान की राशि ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-1227/सा0 दिनांक-9.9.2015 के क्रम में आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पदाधिकारी, नवादा में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पदाधिकारी, नवादा को वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पदाधिकारी, नवादा को कुल आवंटित राशि।
₹ शून्य	₹ 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र।	₹ 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र।

महाशय,

उपरोक्त आवंटित राशि ₹ 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मांग संख्या-22 के अन्तर्गत बजट शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम-उप शीर्ष-0004-दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (विपत्र कोड संख्या- N2235602000004) के अन्तर्गत यूनिट कोड-31 02 वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

- जिला पदाधिकारी, नवादा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान मृतकों के आश्रित को समुचित पहचान कर की गई है। राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाएगा।
- उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, नवादा होंगे।
- उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, नवादा से की जायगी।
- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, नवादा की होगी।

6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा मात्र उक्त पीड़ित व्यक्ति/मृतक के आश्रिता को अनुग्रह-अनुदान/मुआवजा के रूप में भुगतान में उपयोग किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।

7. जिला पदाधिकारी, नवादा का यह दायित्व होगा की भुगतान की गयी राशि का व्यय-विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को ससमय यानी वित्तीय वर्ष 2015-16 के समाप्ति के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति के पूर्व गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-.....2016

स्पीड पोस्ट/फैक्स

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नवादा /वित्त विभाग,बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:- उप सचिव, प्रशाखा 'ए' गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-2715/

पटना, दिनांक-17/3/2016

प्रतिलिपि:-आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Antanda*  
17.03.16  
सरकार के विशेष सचिव

*Wah*  
17/3